P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

# फसलों का क्रय–विक्रय : खेत से बाजार तक की समस्याओं का दिग्दर्शन

**नरेन्द्र सिंह**
सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
एम. एम. पी. जी. कालेज,
फतेहाबाद, भारत

**सारांश**

कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कृषि क्षेत्र का जी.डी.पी. में योगदान 14% है। जब जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता की बात की जाए तो 52% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। परंतु कृषि क्षेत्र को आज भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। जिसके कारण भारतीय कृषि को मौसम का जुआ कहा जाता है। कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीकों का प्रयोग भी बहुत कम मात्रा में किया जाता है। इन समस्याओं के साथ–साथ एक समस्या यह भी है कि हमारी कृषि विपणन प्रणाली में अनेक दोष है। कृषि विपणन प्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता है। जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन अधिक होने पर भी किसानों की आय में बढ़ोतरी नहीं होती है। भारतीय किसान आज भी निर्धन तथा ऋण ग्रस्त है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि विपणन व्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए गए। परंतु फिर भी कृषि विपणन व्यवस्था में बहुत सारी कमियां है। किसानों की आय बढ़ाने तथा उन्हें ऋण से मुक्त करने के लिए न केवल कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता है, बल्कि कृषि विपणन में भी सुधार करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि को आधार बनाकर वर्तमान लेख जमीनी स्तर पर कृषि विपणन प्रणाली की समस्याओं का विश्लेषण करता है।

**मुख्य शब्द :** कृषि विपणन, व्यापारी, किसान, मध्यस्थ, कृषि उपज।

**प्रस्तावना**

कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कृषि क्षेत्र का जी.डी.पी. में योगदान 14% है। जब जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता की बात की जाए तो 52% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, क्योंकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र रोजगार देने में असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी भारत में अधिकांश श्रमिक अशिक्षित और अकुशल है। औद्योंगिक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र में अशिक्षित और अकुशल श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलता है। कृषि क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है, जो इन अशिक्षित और अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करके, इन श्रमिकों की आजीविका का स्त्रोत बन गया है। कृषि क्षेत्र का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि औद्योगिक व सेवा क्षेत्र कृषि पर निर्भर करते है। कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को उत्पादन करने के लिए कच्चा माल प्रदान करता है तथा कृषि क्षेत्र द्वारा बड़ी मात्रा में औद्योगिक वस्तुओं की मांग की जाती है। इस प्रकार इसमें कोई दो राय नहीं है कि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु वहीं दूसरी ओर भारतीय कृषि क्षेत्र की दूसरे देशों के कृषि क्षेत्र से तुलना की जाए तो भारतीय कृषि क्षेत्र आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। भारतीय कृषि क्षेत्र का दूसरे देशों के कृषि क्षेत्र से पिछड़े हुए होने का कारण यह है कि भारत कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीकों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है तथा हमारे देश में सिंचाई सुविधाओं का भी अभाव है। भारतीय कृषि को मौसम का जुआ कहा जाता है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण बड़ी मात्रा में कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। कृषि क्षेत्र में इन समस्याओं के साथ अन्य मुख्य समस्या कृषि विपणन प्रणाली का दोषपूर्ण होना है। कृषि विपणन में उपज को खेत से लेकर उपभोकताओं तक पहुचाने वाली समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है। कृषि विपणन में कृषि उपज का एकत्रीकरण, श्रेणीकरण तथा

प्रमाणीकरण, भंडारण तथा बिक्री जैसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। हमारी कृषि विपणन प्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता है। जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन अधिक होने पर भी किसानों की आय में बढ़ोतरी नहीं होती है। भारतीय किसान आज भी निर्धन तथा ऋण ग्रस्त है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि विपणन व्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए गए। परंतु फिर भी कृषि विपणन व्यवस्था में बहुत सारी कमियां है। किसानों की आय बढ़ाने तथा उन्हें ऋण से मुक्त करने के लिए न केवल कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता है, बल्कि कृषि विपणन में भी सुधार करने की आवश्यकता है।

**साहित्यावलोकन**

कृषि विपणन प्रणाली पर शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं द्वारा काफी शोध किया जा चुका है। उनके द्वारा किए गए शोध का साहित्य अवलोकन इस भाग में प्रस्तुत किया गया है।

1. वीर सिंह और पूजा रानी (2018) इन्होंने अपने लेख में कृषि विपणन प्रणाली की समस्याओं को उजागर किया है तथा इन समस्याओं का समाधान बताया है। इनके द्वारा बताई गई मुख्य कृषि कमियां बाजार में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, कृषि बाजार भाव निर्धारण नीति में कमियां, उन्पादों की ग्रेडिंग आदि हैं।
2. जोनस्टन (1961) ने अपने शोध पत्र में बताया कि कृषि पदार्थों की वाणिज्य मांग जनसंख्या वृद्धि, आय, शहरीकरण इत्यादि के साथ बढ़ती है और पूर्ति में वृद्धि उत्पादकता में वृद्धि के द्वारा होती है।
3. रीयरडन व अन्य (2014) ने अपने अध्ययन में बताया कि इन दिनों चीन, भारत जैसे विकासशील देशों में निजी फर्में बेहतर बीजों की किस्म का उत्पादन करने और आगतों के वितरण, फसलों को काटने के बाद उसे बेचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।
4. गौरव बिस्सा (2014) के अनुसार देश में विपणन बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। देश में विपणन बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में काफी क्षेत्रीय भिन्नता है। यदि बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए तो भारतीय कृषि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन जाएगी।

**अध्ययन का उद्देश्य**

उपरोक्त पृष्ठभूमि को आधार बनाकर वर्तमान लेख जमीनी स्तर पर कृषि विपणन प्रणाली की समस्याओं का विश्लेषण करता है।

**अनुसंधान क्रिया विधि**

यह शोध पत्र प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। शोध करने के लिए गांव भटटू खुर्द, फतेहाबाद (हरियाणा) का चुनाव सुविधानुसार देव निदर्शन विधि द्वारा किया गया है। गांव में अनाज मंडी है, जिसमें केवल गेंहू की फसल खरीदी जाती है। धान व कपास की फसल को फतेहाबाद अनाज मंडी में बेचा जाता है। गांव के 70 किसानों से की गई बातचीत को आधार बनाकर, यह शोध पत्र बनाया गया है।

**कृषि विपणन के दोष**

कागजी स्तर कृषि विपणन प्रणाली में कोई दोष नहीं है। परंतु जमीनी स्तर पर आज भी कृषि विपणन प्रणाली में बहुत कमियां हैं। कृषि प्रणाली के दोषों के कारण किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिलता है तथा बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है।

| | किसानों की सख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| दोषपूर्ण संग्रहण व्यवस्था | 40 | 57.14 |
| श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण का अभाव | 35 | 50 |
| परिवहन सुविधाओं का अभाव | 20 | 28.57 |
| छोटी अनाज मंडियां | 66 | 94.28 |
| मध्यस्थों द्वारा किसानों का शोषण | 38 | 54.28 |
| कृषि उपज की बिक्री में अधिक समय लगना | 57 | 81.42 |
| किसानों की ऋण समस्या | 55 | 78.57 |
| व्यापारियों व श्रमिकों की हड़ताले | 10 | 14.28 |
| खुले में उपज की बिक्री | 61 | 87.14 |
| कृषि उपज की राशि के भुगतान में देरी | 45 | 64.28 |
| उपज की सरकारी खरीद न होना | 33 | 47.14 |
| अपूर्ण बाजार सूचनाएं | 44 | 62.85 |
| नई मंडियों में सुविधाओं का अभाव | 47 | 67.14 |
| अनाज मंडियों में चोरी की समस्या | 16 | 22.85 |

**स्रोत–** प्राथमिक आँकडे

कृषि विपणन के मुख्य दोष इस प्रकार है–

**दोषपूर्ण संग्रहण व्यवस्था**

प्रायः गरीब किसानों के पास अपनी उपज का भंडारण करने के लिए स्थान की कमी होती है। 57.14 प्रतिशत किसान मानते है कि उनके पास अपनी कृषि उपज का भंडारण करने के लिए स्थान की कमी है। धान और गेंहू जैसी फसलों के भंडारण के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है। स्थान की कमी के कारण किसान कृषि उपज का भंडारण खेतों में खुले में करते हैं। खुले में भंडारण लंबे समय तक नहीं किया जा सकता तथा उपज के खराब होने का भय बना रहता है। कर्जदार होने के कारण भी किसान कृषि उपज का लंबे समय तक भंडारण नहीं कर पाते है तथा उन्हें मजबूरी में कृषि उपज बेचनी पड़ती है।

**श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण का अभाव**

50 प्रतिशत किसान अज्ञानता के कारण अपनी कृषि उपज का श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण नहीं करते हैं। किसान अच्छी और घटिया गुणवत्ता वाली उपज को मिलाकर बेच देते हैं। जिससे उन्हें कृषि उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता है। खासकर धान जैसी फसलों में गुणवत्ता के नाम पर किसानों से काफी धोखाधड़ी की जाती है।

**परिवहन सुविधाओं का अभाव**

परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण किसानों को अपनी कृषि उपज अनाज मंडी तक लेकर आने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 28.57 प्रतिशत किसानों को परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण कृषि उपज को शहर तक लाने के लिए बड़ी मात्रा में लागत उठानी पड़ती है। छोटे किसान इस लागत से बचने के लिए अपनी कृषि उपज को गांव में ही साहूकार को कम मूल्य पर बेच देते हैं।

**छोटी अनाज मंडियां**

शहर में मंडियों में जगह की कमी के कारण किसानों को अपनी कृषि उपज मंडियों के आसपास की सड़कों पर डालनी पड़ती है। 94.28 प्रतिशत किसान मानते है कि शहर व गांव में मंडियों में जगह की कमी हैं। खासकर गेंहू की फसल मंडी में आने पर जगह की समस्या ओर भी बढ़ जाती है। बरसात की स्थिति में सड़कों पर या फिर खुले में डाली गई कृषि उपज खराब हो जाती है।

**मध्यस्थों द्वारा किसानों का शोषण**

54.28 प्रतिशत किसानों का मानना है कि उन्हें बाजार में प्रचलित मूल्य तथा नियमों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण मध्यस्थों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। किसानों को बाजार में प्रचलित मूल्य नहीं दिया जाता है या फिर कृषि उपज तोलने में हेराफेरी की जाती है।

**कृषि उपज की बिक्री में अधिक समय लगना**

किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए कई दिनों तक मंडियों में रहना पड़ता है। 81.42 प्रतिशत किसानों का मानना है कि व्यापरियों द्वारा जानबूझकर उपज की खरीद में देरी की जाती है। कई दिन तक उपज की बोली नहीं की जाती है। जिससे किसानों को मजबूरी में अपनी कृषि उपज कम दामों पर बेचनी पड़ती है।

**किसानों की ऋण समस्या**

किसानों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मध्यस्थों या व्यापारियों से ऋण लेना पड़ता है। किसानों से की गई बातचीत के आधार पर कहा जा सकता है कि 78.57 प्रतिशत किसानों को ऋण की समस्या है। किसान को अपनी कृषि उपज उसी व्यापारी के पास बेचनी पड़ती है, जिससे उसने ऋण लिया है। ऋण का फायदा उठाकर व्यापारी उपज तोलने व निम्न गुणवत्ता का हवाला देकर कई कटौतियां करते हैं।

**व्यापारियों व श्रमिकों की हड़तालें**

व्यापारियों व श्रमिकों द्वारा छोटी–छोटी बातों पर हड़तालें की जाती है। जिसके कारण किसानों को कई दिनों तक अनाज मंडियों में अपनी कृषि उपज को बेचने के लिए रहना पड़ता है। किसानों को इन हड़तालों की पूर्व सूचना भी नहीं होती है। 14.28 प्रतिशत किसान इन हड़तालों को एक बड़ी समस्या मानते है।

**खुले में उपज की बिक्री**

87.14 प्रतिशत किसानों का मानना है कि ज्यादातर मंडियों में खुले में उपज की बिक्री की जाती है, जिसके कारण किसानों की उपज का एक बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है।

**कृषि उपज की राशि के भुगतान में देरी**

व्यापारियों द्वारा कृषि उपज की बिक्री के 15–20 दिनों के बाद कृषि उपज की राशि का भुगतान किया जाता है। इसके लिए किसानों को व्यापारियों के पास कई बार जाना पड़ता है। 64.28 प्रतिशत किसानों को कृषि उपज की राशि का भुगतान सही पर समय नहीं किया जाता है।

**उपज की सरकारी खरीद न होना**

जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। उन फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा नहीं की जाती है या फिर कम मात्रा में खरीद की जाती है। 47.14 प्रतिशत किसानों का मानना है कि सरकार द्वारा फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं की जाती है जिसके कारण व्यापारियों द्वारा इन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर खरीदा जाता है।

**अपूर्ण बाजार सूचनाएं**

बाजार में प्रचलित फसलों के मूल्य के बारे में 62.85 प्रतिशत किसानों को सही जानकारी नहीं है। किसानों को कृषि पदार्थों की पूर्ति व मांग के बारे में जानकारी न होने के कारण वे अपनी कृषि उपज का भंडारण नहीं कर पाते है। उन्हें नहीं पता होता कि कब तक भंडारण करना है तथा कब बिक्री करनी है।

**नई मंडियों में सुविधाओं का अभाव**

सरकार द्वारा नई अनाज मंडियों का निर्माण किया गया है। 67.14 प्रतिशत किसान इन मंडियों में पानी, शौचालय आदि सुविधाओं का अभाव मानते है।

**अनाज मंडियों में चोरी की समस्या**

22.85 प्रतिशत किसानों के अनुसार अनाज मंडियों में चौकिदारों की कमी के कारण किसानों के ट्रैक्टर व कृषि उपज की चौरियां होती रहती है।

**सुझाव**

अनुकूलतम कृषि विपणन जिससे किसानों को अधिकतम लाभ तथा हानि न्यूनतम हो उसके लिए निम्नलिखित सुझाव है–

1. ऋण की समस्या का समाधान करने के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा अधिक ऋण दिया

जाना चाहिए। जिससे किसानों को अपनी कृषि उपज मजबूरी में कम दामों पर नहीं बेचनी पड़ेगी।

2. कृषि उपज के भंडारण की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा गोदामों का निर्माण किया जाना चाहिए।
3. किसानों को कृषि उपज का श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण करने के बारे मे जानकारी देनी चाहिए कि किस प्रकार वे श्रेणीकरण करके अपनी कृषि उपज का अधिक मूल्य ले सकते हैं।
4. मंडियों में जगह की समस्या का समाधान तभी हो सकता है। जब अनाज मंडियाँ शहर से बाहर हो। मंडियों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नई मंडिया बनाई जाए।
5. किसानों को अच्छी परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाए। प्रत्येक गांव को सड़क या रेल मार्ग द्वारा शहर से जोड़ा जाए। कृषि उपज की बिक्री में होने वाली देरी को कम करने के लिए कानून बनाए जाएं। यदि व्यापारियों या मध्यस्थों के कारण किसानों को कई दिनों तक मंडियों में रहना पडता है, तो व्यापारियों और मध्यस्थों पर जुर्माना लगाया जाए।
6. सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यापारी किसानों को उपज की राशि का भुगतान कितने दिनों में करेंगे।
7. हडताल करने वाले व्यापारियों का लाइसेंस रद्व किया जाए तथा उन पर जुर्माना लगाया जाए। श्रमिकों के द्वारा की जाने वाली हड़तालों पर भी रोक लगानी चाहिए।
8. व्यापारियों द्वारा उपज में से की जाने वाली कटौतियों पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है।
9. जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। उन फसलों की खरीद सरकार द्वारा की जानी चाहिए।
10. सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से बाजार भाव के बारे में प्रति दिन जानकारी दी जानी चाहिए।
11. मंडियों में होने वाली चोरियों को रोकने के लिए चौकीदारों की नियुक्ति की जाए।

## निष्कर्ष

भारत जैसे विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र रोजगार तो दे रहा हैं, पंरतु आज भी भारतीय किसानों की आय निम्न स्तर पर बनी हुई है। किसानों की निम्न आय और ऋण की समस्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कृषि क्षेत्र को आज भी कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है। कृषि समस्याओं में से एक मुख्य समस्या दोषपूर्ण कृषि विपणन प्रणाली की है। हमारी कृषि विपणन प्रणाली में अनेक दोष हैं। दोषपूर्ण कृषि प्रणाली के कारण किसानों को उनकी कृषि उपज का सही मूल्य नहीं मिलता हैं। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार करने के लिए कई प्रयास किए गए है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कृषि उपज की ऑनलाइन बिक्री शुरु दी गई हैं। कृषि उपज की ऑनलाइन बिक्री को बढावा देने के लिए ऑनलाइन मंडियो की स्थापना की गई हैं। इन ऑनलाइन मंडियों के माध्यम से किसान अपनी कृषि उपज को कहीं भी बेच सकता हैं। परतु अज्ञानता व जानकारी के अभाव में किसान सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। मध्यस्थों द्वारा भी कृषि उपज की ऑनलाइन बिक्री का विरोध किया जा रहा हैं, क्योकि ऑनलाइन बिक्री में कृषि उपज की राशि किसानों के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। जब कृषि उपज की राशि सीधे किसानों के बैंक खातें में आएगी, तो मध्यस्थों को इस बात का डर हैं कि उन्होंने किसानों को जो ऋण दिया हैं, किसान उसका भुगतान नहीं करेगें। उपज की ऑनलाइन बिक्री तभी सभंव हो पाएगी, जब किसानों को इसके बारे में जागरुक किया जाए। केवल मात्र कृषि उपज की ऑनलाइन बिक्री को बढावा देकर कृषि विपणन प्रणाली में सुधार नहीं किया जा सकता हैं, इसके लिए सरकार को बहुत अधिक प्रयास करने पडेंगे।

## संदर्भ ग्रंथ सूची

*Bissa Gaurav(2014) "Study of Infrastructural status in Agricultural Marketing" Indian journal of research, volume 4 ,page no.90*

*Johnston (1961) "The role of agriculture in economic development" American economic review ,51 (3), 566-593*

*kiruthiga k. (2015) "Agriculture Marketing- An overview" international journal of scientific and Research Publication, volume 5*

*Reardon et al. (2003) " The rise of super market chains in Africa, Asia and Latin America" American journal all of agriculture economics,85, 1140-1146.*

*Ul Rehman Shakeel(2011) "Indian Agriculturel Marketing- A Review" Asian journal of agriculture and rural development,2(1),69-75*

*https://hindi.krishijagran.com*

*https://iashindi.com*

*https://m.jagranjosh.com*

*www.economicsdiscussion.net*

*www.hindilibraryindia.com*